

# कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

## आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- 127 T.R / 2020-21 सन्

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितिकरण करने के संबंध में।

आदेश का क०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प की गई कार्रवाई बारे में
-------------------------	--------------------------------	--------------------------------


07/10/2020

जमाबंदीदार श्री/ श्रीमती गुरु श्यांब पिता/पति बाटा श्यांब  
 मौजा उपरबालबोर्ग थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी -II पृष्ठ संख्या- 126  
 में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- 11 / 66-67 के आधार पर दर्ज है।  
 जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के क्षत्रिय के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

### भूमि की विवरणी:-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>उपरबालबोर्ग</u>	<u>283</u>	<u>192</u>	<u>392</u>	<u>0.15 एकड़</u>

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- 07/11/2020 को उपस्थापित करें।

  
 अंचल अधिकारी  
 अड़की।




07/11/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि नियमितिकरण- 89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के नियमितिकरण हेतु अनुशंसा किये है।


अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती गुरु उराब पिता/पति बारा उराब मौजा- अखालाली थाना-अड़की, जिला-खूँटी के नाम से मौजा- अखालाली थाना नं० 283 खाता सं० 192 प्लॉट सं० 392 रकबा- 0.15 एकड़ लगान 1.12 रुपये अलावे शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितिकरण की स्वीकृति दी जाती है

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनु रूप ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।

  
अंचल अधिकारी,  
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा- अखालाली थाना नं० 283 के पंजी- II भौलुम (VOL-.....) के पृष्ठ संख्या-..... पर ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है  
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

  
अंचल अधिकारी,  
अड़की।